



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

## GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site – [www.ggu.ac.in](http://www.ggu.ac.in), ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148, 154

क्र. 185 / अका. / शोध / समाज शास्त्र / 2019

16 JUL 2019

बिलासपुर, दिनांक.....

प्रति,

(पंजीकृत डाक द्वारा)

Rajni Kujur (Research Scholar)  
Department of Social Science  
D.P. Vipra, College,  
Bilaspur (C.G.)

विषयः— यूजी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रावधानानुसार पीएचडी० उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 07-03-2019 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) समाजशास्त्र अध्ययनशाला – समाजिक विज्ञान में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-


शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक		
“उरांव जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति” एक समाजशास्त्रीय अध्ययन” जशपुर जिले के विशेष संदर्भ में	डॉ. अंजू शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)		
शोध केन्द्र	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन तिथि	नामांकन क्रमांक
समाजशास्त्र विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)	145352601	07-03-2019	GA/96/6555

- आप यूजी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्य करेंगे। उक्त अध्यादेश/विनियम को कंडिका-10 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपरिथित का लेखा शोध निर्देशक द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व आठ प्रतियों में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

क्रमशः

2. 4 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् शोध समय वृद्धि (एक वर्ष के लिये) शुल्क रूपये 300/- विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण / प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
4. शोध पंजीयन तिथि से प्रति सेमेस्टर (छहमाही) छात्र को शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन, उपस्थिति का लेखा के साथ शोध निर्देशक से अनुशंसित सेमेस्टर समाप्त होने के सात दिवस के भीतर शोध ग्रंथ जमा करने तक जमा करना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर का प्रगति प्रतिवेदन संतोषजनक पाये जाने पर ही शोधार्थी के पंजीयन का नवीनीकरण होगा।
5. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोधग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छहमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोधग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।

आदेशानुसार,


  
सहा. कुलसचिव (अका.)

बिलासपुर, दिनांक 16 JUL 2019

क्रमांक 186 / अकाठ / शोध / शिक्षा / 2019

प्रतिलिपि:-

- CSIT/1563  
18/7/19
1. शोध निर्देशक—डॉ अंजू शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर, को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश / विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्रा का प्रत्येक सेमेस्टर छहमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
  2. विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
  3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
  4. मंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
  5. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
  6. संबंधित नस्ती प्रति।

  
सहा. कुलसचिव (अका.)  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ.ग.)